यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार** के माह 01/2020 से 01/2021 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 16.02.2021 से 24.02.2021 तक श्री एस.के. जौहरी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग- I

1). परिचयात्मकः इकाई के माह 07/2018 से 12/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 17.01.2020 से 11.02.2020 तक श्री ए. सी. कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में संपादित की गयी। लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या- AIR-270/ 2019-20 थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षिक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार के क्रियाकलाप वित्तीय व प्रशासनिक नियंत्रण, चिकित्सीय सेवाएँ एवं एनएचएम से संबन्धित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ साथ चिकित्सा संबंधी अन्य कार्यक्रमों का संचालन, परिक्षेत्र मे आने वाले जनसामान्य को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना तथा चिकित्सा से संबन्धित अपने दायित्वों का निर्वहन सुचारू रूप से सम्पन्न कराना है।भौगोलिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण हरिद्वार जनपद आच्छादित है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

स्थापना मदः- (रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष/ समर्पित
2017-18	0	416.09	416.09	408.75	7.34
2018-19	0	428.25	428.25	415.17	13.08
2019-20	0	4.20	4.20	4.18	0.02
2020-21 (माह 01/2021 तक)	0	0.60	0.60	0.40	0.20

गैर-स्थापना मद (चिकित्सा प्रबंधन समिति):- (रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि + अन्य स्रोतों से	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2017-18	54.05	40.00 + 21.09	115.14	86.77	28.37
2018-19	28.37	62.00 + 55.70	146.08	91.79	54.28
2019-20	54.28	35.00 + 27.38	116.66	76.52	40.14
2020-21 (माह 01/2021 तक)	40.14	20.00 + 17.02	77.16	51.92	25.24

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं: ---लागू नही---

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

NHM RCH (रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
292018-19	12.31	157.19	0	169.50	168.16	1.34
2019-20	1.34	142.92	0	144.26	118.15	26.11
2020-21 (माह 01/2021 तक)	30.40	129.47	- 15.50	144.37	125.91	18.46

NHM Additionalities (Rs in Lakh)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2018-19	14.46	74.60	0	89.06	57.61	31.45
2019-20	31.45	41.39	0	72.84	50.23	22.61
2020-21 (माह 01/2021 तक)	22.18	47.48	0	69.66	29.56	40.10

NHM Immunization (Rs in Lakh)

वित्तीय वर्ष	पूर्व वर्ष का अवशेष	आबंटित धनराशि	अन्य स्रोतों से प्राप्त	कुल धनराशि	कुल व्यय	अंतिम अवशेष
2018-19	1.54	1.50	0	3.04	1.46	1.58
2019-20	1.58	0.46	0	2.04	0.39	1.65
2020-21 (माह 01/2021 तक)	1.70	0.08	0	1.78	0	1.78

iii). इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई 'सी' श्रेणी में लिया गया है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहरादून
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी
4. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमायूं मण्डल, नैनीताल
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक
6. चिकित्सा अधीक्षक
7. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/ चिकित्सा अधिकारी
8. पैरामेडिकल संवर्ग/ मिनिस्टेरियल संवर्ग

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 01/2020 से 01/2021 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन इकाई की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2020 एवं 11/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग 2 ब</u>

<u>प्रस्तरः01-</u> रु.3.41 लाख की धनराशि का व्यावर्तन।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक राज्य के अंतर्गत संचालित जिला अस्पतालों में स्वास्थ्यसेवाएँ एवं साफ-सफ़ाई की उच्च स्थिति के आधार पर कायाकल्प योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था की गयी थी । इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में चैनराय जिला महिला चिकित्सालय हरिद्वार को पुरस्कार स्वरूप रु.50.00 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी । प्राप्त धनराशि में से 75% राशि रोगी कल्याण समिति के माध्यम से बेहतर सुविधाएं ,मरम्मत कार्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं हेतु व्यय की जानी थी जबकि 25% राशि सुविधाएं प्रदान करने वाले दल को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जानी थी । इस संबंध में भारत सरकार द्वारा कायाकल्प योजना के अंतर्गत जारी निर्देशिका में विभिन्न श्रेणी/मानकों के अंतर्गत सुविधाएं जुटाने का उल्लेख किया गया था । अर्थात इस योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि का उपयोग इस योजना के अंतर्गत उल्लेखित मानकों को प्राप्त करने हेतु किया जाना था ।

उक्त मद से संबन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि संलग्नक-1 के अनुसार चिकित्सालय द्वारा उक्त निर्देशिका में उल्लेखित मदों से इतर अन्य मदों अर्थात लेखन सामग्री एवं स्थापना से संबन्धित मदों पर रु.3,40,685/-की धनराशि व्यय की गयी थी जो निर्देशिका के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अनियमित व्यय था । लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में आपत्ति किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने एवं पुनः चिकित्सालय को कायाकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त कराने के उद्देश्य से सामग्री का क्रय किया गया है । बिल में सामग्रियों का योग प्रदर्शित है जबकि बिल में अन्य सामग्री भी सम्मलित है । लैपटाप का क्रय चिकित्सालय का प्रबंध एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हेतु योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु किया गया है । व्यय की कार्ययोजना पूर्व में तैयार कर ली गयी थी । इकाई का उत्तर अतार्किक होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि चिकित्सालय द्वारा उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि से किए जाने वाले व्ययों के संबंध में कोई स्पष्ट कार्ययोजना तैयार नहीं की गयी थी केवल टुकड़ों-टुकड़ों में सुविधा के अनुसार किए जाने वाले व्यय का प्रस्ताव तैयार कर चिकित्सा प्रबंधन समिति से पारित कराया जा रहा था ।तालिका में मदों के सापेक्ष बिल संख्या का उल्लेख किया गया है एवं उक्त बिल में सम्मलित समस्त मदों पर आपत्ति की गयी है। चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में कंप्यूटर उपलब्ध थे ऐसे में इकाई का यह कहना कीलैपटाप का क्रय चिकित्सालय का प्रबंध एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हेतु योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु किया गया है, अनुचित है । इसके बाद भी यदि लैपटाप की आवश्यकता थी तो इस हेतु निदेशालय से अतिरिक्त धनराशि कि मांग की जानी चाहिए थी। संलग्न तालिका में चिकित्सालय द्वारा जिन मदों पर व्यय किया जाना दर्शाया गया है वह स्थापना मद एवं लेखन सामग्री आदि से संबन्धित है जिसके लिए शासन द्वारा अलग से धनराशि आवंटित की जाती है । ऐसे में किसी विशेष कार्यक्रम के

अंतर्गत प्राप्त धनराशि में से उक्त व्यय किए जाने से कार्यक्रम के उद्देश्य प्रभावित होते है । अतः रु.3.41 लाख की धनराशि का व्यावर्तन कर अन्य कार्यों पर व्यय किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

<u>संलग्नक-1</u>

वित्तीय वर्ष	बिल न॰	मद	भुगतान की तिथि	भुगतानित धनराशि
2019-20	377	भवन पर रोशनी	30.3.20	5900
	408	भवन पर रोशनी	30.3.20	5900
	INV/3231	LEDTV की मरम्मत	30.3.20	3920
	INV/4022	प्रिंटर की मरम्मत	30.3.20	2800
	INV/4036	टोनर क्रय	30.3.20	826
	INV/5011	टोनर क्रय	30.3.20	4130
	INV/4070	टोनर क्रय	30.3.20	1298
	INV/3098	टोनर क्रय	30.3.20	1298
	INV/5121	एम्प्लीफायर मरम्मत	30.3.20	1357
	266	स्टॉक बुक क्रय	30.3.20	2760
	308	भुगतान पंजिका क्रय	30.3.20	41600
	312	डिस्चार्ज स्लिप छपाई	30.3.20	40000
	313	फोटोइस्टेट कागज	30.3.20	9070
	315	बॉन्डपेपर /रजिस्टर	30.3.20	15840
	316	OPD रजिस्टर	30.3.20	15000
	336	बॉन्ड पेपर	30.3.20	9400
	337	लेखन सामग्री	30.3.20	22270
	341	बर्थ प्रमाणपत्र छपाई	30.3.20	6000
	343	फोटोइस्टेट कागज	30.3.20	4200
	353	बॉन्ड पेपर	30.3.20	14100
	849	ग्रुप फोटो	30.3.20	1000
2020-21	S20/302	लैपटॉप क्रय	07.1.21	1,02,500
	IMV/5597	लेसर प्रिंटर	01.9.20	3084
	GVPSL/005	AMC	09.12.20	16520
	184	कार्टेज रिफिल	09.9.20	2832
	241	कार्टेज रिफिल	21.11.20	4248
	332	कार्टेज रिफिल	31.12.20	2832
कुल भुगतान				3,40,685

<u>भाग- 2'ब'</u>

<u>प्रस्तर:02</u>- जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में आशाओं को धनराशि रु 4.54 लाख का अनियमित भुगतान एवं धनराशि रु 10.38 लाख का योजना के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने से लाभार्थियों का वंचित रहना।

जननी सुरक्षा योजना की ऑपरेशनल गाइडलाइंस के अनुसार प्रसव की संभावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक लाभार्थी हेतु जेएसवाई कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उक्त कार्ड प्रसव की संभावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व संबन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्साधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज करते समय उसको चैक प्रदान किया जा सके एवं लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा। As per the JSY guideline, cash incentive would be paid to ASHA in two instalment. 50 % of the incentive would be given as First instalment after discharge of the JSY beneficiary from the health centre provided ASHA or an equivalent worker having accompanied, stayed with the pregnant woman in the health centre for delivery; and the remaining 50% of the cash incentive would be given one month after delivery when BCG vaccine has been administered to the child and she has helped in post-natal care and registration of birth of the newborn.

इकाई मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुचना के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि 01/2020 से 01/2021तक*जननी सुरक्षा योजना* केअंतर्गत कुल 4311 लाभार्थी (1161 शहरी एवं2289 ग्रामीण क्षेत्र) एवं 3114 आशाओं (1136 शहरी एवं1978 ग्रामीण क्षेत्र) में से 3450 लाभार्थियों (1161 शहरी क्षेत्र एवं2289 ग्रामीण क्षेत्र) एवं शहरी क्षेत्र की 1136 आशाओं को क्रमशः रु 43,65,600/-एवं रु 4,54,400/-का भुगतान किया गया। शेष ग्रामीण क्षेत्र की 1978 आशाओं के भुगतान से संबन्धित अभिलेख इकाई में उपलब्ध नहीं थे, भुगतान संबन्धित अभिलेख विकास खंड स्तर पर थे, भुगतान की दिशा-निर्देशों का पालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर से किया जाता है। नियमानुसार लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रूप से उसे देय धनराशि का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। प्रसव से सात दिन पूर्व अथवा सात दिन पश्चात किया गया भुगतान अवैध माना जाएगा। लेखापरीक्षा अवधि माह 01/2020 से 01/2021 में कुल 4311 लाभार्थियों (1161 शहरी एवं 2289 ग्रामीण क्षेत्र) में से शहरी क्षेत्र की 332 लाभार्थी (रु 3,32,000/-) एवं ग्रामीण क्षेत्र की 504 लाभार्थी (रु 7,05,600/-) की कुल **धनराशि रु 10,37,600/-** का भुगतान नियमानुसार नहीं किए जाने जेएसवाई योजना से लाभान्वित होने से वंचित रखे जाने से इनकार नहीं किया जा सकता था। आगे, लाभार्थियों के जेएसवाई के भरे हुये फार्मों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाभार्थियों को की जाने वाली भुगतान से संबन्धित सूचनाए जेएसवाई फार्म में दर्ज नहीं की गई थी।

आगे, अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि शहरी क्षेत्र की कुल 1136 आशाओं को **धनराशि रु 4,54,400/-**का भुगतान दो किस्त के बजाय एक ही बार में जेएसवाई गाइडलाइंस का उलंघन करते हुये किया गया। नियमानुसार आशाओं को 50 - 50 प्रतिशत की दो किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार आशाओं को धनराशि रु 4,54,400/-का अनियमित भुगतान एवं लाभार्थियों को धनराशि रु10,37,600/-का जेएसवाई योजना के अनुसार भुगतान न किए जाने से लाभार्थी वंचित पाये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "किसी भी लाभार्थी के द्वारा प्रसव के 07 दिन पश्चात अवैध माना गया है। 07 दिन के अंदर बैंक खाता तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण भुगतान नहीं किया गया"। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित न रह जाये इसके लिए इकाई भुगतान से संबन्धित अभिलेखों को लाभार्थियों के पंजीकरण के समय से ही सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए था।

अतःआशाओं को धनराशि रु 4.54 लाख का अनियमित भुगतान एवं लाभार्थियों को धनराशि रु 10.38 लाख का जेएसवाई योजना के अनुसार भुगतान न किए जाने से लाभार्थियों के वंचित रह जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>प्रस्तर:01-</u> अनुबंध किए बिना ही रु0 23.49 लाख का अनियमित भुगतान।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (प्राक्योरमेंट) नियमावली, 2017 के अध्याय-2 सामग्री के बिन्दु संख्या 09 (सीमित निविदा पृच्छा)उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्त की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत रु0 2500000/- लाख तक हो। तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि, न्यूनतम तीन निविदा प्राप्त हों , प्रश्नगत सामग्री के लिए निविदा दस्तावेज़, पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची से तीन से अधिक फर्मों को सीधे स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक इत्यादि से भेजे जाने चाहिए।

कार्यालय चैन राय जिला महिला चिकित्सालय के अंतर्गत मरीजों के लिए भोजन व्यवस्था से संबन्धित पत्रावली की विस्तृत जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा निविदा के आधार पर दिनाँक 22/07/2016 को श्री अजय पाण्डेय के साथ दिनाँक 01/08/2016 से दिनाँक 31/08/2019 तक मरीजों के लिए प्रति दिन भोजन की व्यवस्था हेतु अनुबंध किया गया था। लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि दिनाँक 31/08/2019 को श्री अजय पाण्डेय के साथ अनुबंध समाप्त हो गया था जिसके बाद कार्यालय द्वारा नई फर्म के साथ मरीजों के लिए प्रति दिन की भोजन व्यवस्था हेतु दिनाँक 16/12/2020 से 15/12/2023 तक के लिए दिनाँक 15/12/2020 को अनुबंध किया गया। जिस कारण से दिनाँक 01/09/2019 से 15/12/2020 तक कुल 15 माह 15 दिन तक बिना अनुबंध के ही श्री अजय पाण्डेय द्वारा भोजन व्यवस्था हेतु सेवा दी गयी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा दिनाँक 01/09/19 से दिनाँक 30/06/2020 तक कुल रु0 1682785/- लाख का भुगतान बिलों के सापेक्ष किया गया तथा 01/07/2020 से 30/11/2020 तक के कुल रु0 666062.00 लाख के बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए हैं जिनके भुगतान किए जाने की कार्यवाही की जा रही थी तथा दिनाँक 01.12.2020 से 15/12/20 तक के बिल अतिथि तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।जिससे इकाई द्वारा कुल रु0 2348847.00 लाख का भुगतान अनुबंध समाप्त होने के बाद श्री अजय पाण्डेय को किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त के सम्बंध में इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक चैन राय जिला महिला चिकित्सालय, हरीद्वारने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि निविदा की कार्यवाही जिला चिकित्सालय हरिद्वार के माध्यम से की जाती है। इस सम्बंध में जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था कि नई निविदा होने तक पुरानी निविदा से सेवायेँ ली जायेगी। इकाई का उत्तर मान्य नहीं हैं क्यूंकि इकाई द्वारा निविदा खत्म होने के 16 माह बाद नई निविदा करी गयी ।प्रबंध समिति द्वारा भी अगली निविदा जल्दी किए जाने का भी कोई समय निर्धारित नहीं किया गया जो कि मान्य नहीं था। इकाई द्वारा निविदा समाप्त होने के बाद यथाशीघ्र नई निविदा करने हेतु प्रयास किया जाना चाहिए था।

अत: बिना अनुबंध के रु0 23.49 लाख का भुगतान करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:02-</u> धनराशि रु 7.63 लाख की रसायन औषधियों का अनियमित क्रय.

उत्तराखण्ड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश संख्या- 1284/ XXVIII- 5- 2008- 24/ 2003 दिनांक 28.10.2009 (चिकित्सा अनुभाग- 5) के बिन्दु संख्या 10 में यह निर्देशित किया गया था कि 'प्रत्येक निविदा दात्री फर्म द्वारा आपूर्ति की जाने वाली औषधि उसके निर्माण की तिथि से तीन माह से अधिक पुरानी नहीं होंगी' एवं औषधि के प्रत्येक लेबल, कार्टन व अन्य पैकिंग प्रदर्शन पर "UKG सप्लाई", नॉट फार सेल" इंडेलिबल इंक से लिखा जाना अनिवार्य होगा। औषधियों की पैकिंग हेतु दिये गये स्पेसिफिकेसन ही मान्य होगा ।

इकाई मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार के लेखापरीक्षा अवधि 01/2020 से 01/2021 में औषधि रसायन क्रय पश्चात वित्तीय वर्ष 2020-21 की भुगतान से संबन्धित अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मै. कनिका इंटरप्राइजेज़ रुड़की द्वारा धनराशि रु 21,000/- की 10 माह पुरानी inj Pentazocine 1 ml की 650 qty एवं 15 माह पुरानी inj Pentazocine 1 ml की 100 qty का क्रय उक्त शासनादेश के विपरीत की गई थी। आगे, उक्त शासनादेश के विपरीत इकाई द्वारा निम्नलिखित विवरण की ऐसी औषधियों का क्रय किया गया, जिनके भुगतानित वाउचर पर औषधि-निर्माता/ फर्म द्वारा औषधि के निर्माण की तिथि (manufacturing date) अंकित नहीं किया गया था, जिस कारण औषधि-निर्माता/ फर्म द्वारा इकाई को तीन माह से कितनी अधिक पुरानी औषधियों की सप्लाई की गई थी, औषधि-निर्माता/ फर्म के बिल के अनुसार ज्ञात किया जाना संभव नहीं था। निर्माण तिथि से जितनी अधिक पुरानी औषधियों का क्रय होगा, उसका उतने ही कम समय तक औषधालय मे उपयोग हो सकेगा।

विवरण निम्नवत था:-

S. N.	Name of the Firm	Bill No. & date	Amount (Rs.)	Remarks
1	Rekha Pharmaceuticals, Dehradun	1101, 29.09.2019	47600	Manufacturing date of the purchased medicines had not been disclosed in the corresponding bills
2	Rekha Pharmaceuticals, Dehradun	1166, 15.11.2019	8736	
3	Rekha Pharmaceuticals, Dehradun	1237, 10.01.2020	20160	
4	Rekha Pharmaceuticals, Dehradun	1325, 18.03.2020	8400	
5	Rekha Pharmaceuticals, Dehradun	1288, 27.02.2020	5376	
6	Rx Surgicals. Dehradun	1241, 14.03.2019	672	
7	Rx Surgicals. Dehradun	1401, 31.05.2019	35280	
8	Rx Surgicals. Dehradun	1402, 31.05.2019	5196	
9	Rx Surgicals. Dehradun	1406, 31.05.2019	946	
10	Rx Surgicals. Dehradun	1416, 31.05.2019	17944	
11	Rx Surgicals. Dehradun	1473, 31.05.2019	1400	
12	Rx Surgicals. Dehradun	1410, 31.05.2019	41664	
13	Rx Surgicals. Dehradun	1502, 20.07.2019	2016	
14	Rx Surgicals. Dehradun	1540, 17.08.2019	493	
15	Rx Surgicals. Dehradun	1544, 17.08.2019	9744	
16	Rx Surgicals. Dehradun	1563, 02.09.2019	240	
17	Rx Surgicals. Dehradun	1612, 11.09.2019	12264	
18	Rx Surgicals. Dehradun	1658, 30.09.2019	4491	
19	Rx Surgicals. Dehradun	1661, 30.09.2019	8960	
20	Rx Surgicals. Dehradun	1713, 20.11.2019	23240	
21	Rx Surgicals. Dehradun	1716, 20.11.2019	2079	
22	Rx Surgicals. Dehradun	1796, 27.01.2020	11572	
23	Rx Surgicals. Dehradun	1916, 30.03.2020	6913	
24	Pragati Traders Haridwar	163, 17.07.2019	23700	
25	Pragati Traders Haridwar	164, 17.07.2019	22500	
26	Pragati Traders Haridwar	165, 17.07.2019	21000	
27	Pragati Traders Haridwar	177, 07.09.2019	21000	
28	Pragati Traders Haridwar	178, 06.09.2019	11400	
29	Pragati Traders Haridwar	179, 06.09.2019	22500	
30	Pragati Traders Haridwar	180, 06.09.2019	15360	

31	Pragati Traders Haridwar	181, 06.09.2019	23700	
32	Pragati Traders Haridwar	191, 30.09.2019	22500	
33	Pragati Traders Haridwar	193, 30.09.2019	18000	
34	Pragati Traders Haridwar	212, 18.11.2019	19750	
35	Pragati Traders Haridwar	213, 18.11.2019	22500	
36	Pragati Traders Haridwar	214, 18.11.2019	23700	
37	Pragati Traders Haridwar	215, 18.11.2019	8900	
38	Pragati Traders Haridwar	216, 18.11.2019	21000	
39	Pragati Traders Haridwar	222, 11.12.2019	23700	
40	Pragati Traders Haridwar	223, 12.12.2019	21000	
41	Pragati Traders Haridwar	224, 12.12.2019	22500	
42	Pragati Traders Haridwar	242, 25.01.2020	9500	
43	Pragati Traders Haridwar	243, 25.01.2020	22500	
44	Pragati Traders Haridwar	244, 25.01.2020	23700	
45	Pragati Traders Haridwar	257, 19.02.2020	22500	
46	Pragati Traders Haridwar	258, 19.02.2020	21000	
47	Omega Scientific, Haridwar	1609, 29.01.2020	24072	
		Total =	7,63,368/-	

अतएव उत्तराखंड राज्य हेतु औषधि क्रय नीति विषय पर शासनादेश के उलंघन करते हुये अनियमित रूप से धनराशि रु 7,63,368/- की औषधि क्रय की गई।

लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये अपने उत्तर में बताया कि "दिये गए निर्देशों का भविष्य में अनुपालन किया जाएगा। भविष्य में शासनादेश में दिये गए निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा"। इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करता है।

अतः धनराशि रु 7.63 लाख की रसायन औषधियों का अनियमित क्रय शासनादेश का उलंघन करते हुये किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग 2 अ	भाग 2 ब	STAN
1	111/ 2013-14	....	....	1, 2	....
2	76/ 2018-19	.....	....	1	1,2,3
3	Ss/ AIR- 270/2019-20	---	----	1,2	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
111/ 2013-14	भाग 2ब प्रस्तर 1, 2	प्रस्तरों की अनुपालन आख्या तैयार कर शीघ्र ही संस्तुति के उपरान्त प्रेषित कर दी जाएगी।	संस्तुति अनुपालन आख्या के अभाव में लंबित प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	
76/ 2018-19	भाग 2ब प्रस्तर 1 , STAN- 1,2,3			
Ss/ AIR- 270/2019-20	भाग 2ब प्रस्तर 1, 2			

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…. शून्य …

भाग-V
आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: - शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:

नाम	पदनाम	अवधि
डॉ. शिखा जंगपागी	मुख्य चिकित्सा अधिक्षिका	विगत लेखापरीक्षा से माह 07/2020 तक
डॉ. राजेश गुप्ता	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	माह 07/2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, चैनराय जिला महिला चिकित्सालय, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ एएमजी- I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195" को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/एएमजी-I